

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: आदेश :—

संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—01 / 2024

/ पटना, दिनांक :—

मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के लिए पूर्व में निर्गत कार्य आवंटन संबंधी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए पदाधिकारियों को पूर्व के कार्यों के अतिरिक्त निम्नवत् कार्य आवंटित किया जाता है :—

क्र० सं०	नोडल पदाधिकारी का नाम	आवंटित कार्य
1.	श्री किशोर कुमार सिन्हा, राज्य-कर विशेष आयुक्त	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के पत्रांक 628 दिनांक 04.03.2022 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने तथा विभिन्न योजनाओं का फिडबैक प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु।
2.	श्री एस०एम० इरशाद आरिफ, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, प्रमंडलों के माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराने के संबंध में।
3.	श्री कुमार शैलेन्द्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त	बिहार राज्य मुकदमा नीति-2011 के अन्तर्गत नोडल पदाधिकारी।
4.	श्रीमती रेणु कुमारी, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त	1. बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित कार्य। 2. विधान सभा आम निर्वाचन के मतदान/मतगणना एवं अन्य निर्वाचन कार्य से संबंधित कार्य।
5.	श्री रविन्द्र कुमार, राज्य-कर उपायुक्त	1. HRMS Appointing Authority Approver 2. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड़, पटना अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्ति उपलब्ध कराने एवं त्रुटि निराकरण हेतु। 3. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग पदों एवं सेवाओं को रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 1981 के अनुपालन में बिहार राज्य के आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु। 4. राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सम्यक अनुश्रवण हेतु। 5. आरक्षण संबंधी मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु।
6.	श्रीमती हेमलता कुमारी, राज्य-कर उपायुक्त	1. Sparrow System के तहत PAR Custodian एवं Nodal का कार्य। 2. PIMS Creator
7.	श्री मानवेन्द्र सिंह परिहार, राज्य-कर सहायक आयुक्त	बिहार राज्य लिटिगेशन पोर्टल के लिए “जनता के दरबार में मुख्यमंत्री” कार्यक्रम में वाणिज्य-कर विभाग से संबंधित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 6/वि0पत्रा0-24-01/2024 546

/पटना, दिनांक:- 30/01/2025

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री, वाणिज्य-कर, के आप्त सचिव/राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी राज्य-कर विशेष आयुक्त/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी शाखाओं के वरीय प्रभारी/आईटी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।